कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक ... –19–11/08 का–5682 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 का 10007 दिनांक 29 अगस्त 2012 द्वारा
निर्धारित प्रपत्र

संख्या –1103/15 प्रपत्र– II दिनांक – 17/6/15

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

अं० अ० मोहनपुर के द्वारा निर्गत प्र० प० सं०–1659, दि०–15/6/15 के आधार पर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ~~श्रीमति/कुमारी~~ बाल कृष्ण यादव

पुत्र ~~पुत्री~~ यमुना प्रसाद यादव ग्राम/शहर सिंहरायडीह

थाना मोहनपुर जिला देवघर झारखण्ड के स्थायी निवासी/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001, की धारा–2 के अन्तर्गत ~~अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)~~ तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन के अन्तर्गत ~~अत्यन्त पिछड़ा वर्ग~~/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त ग्वाला समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/12/93–स्था० (एस.सी.टी) दिनांक– 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :– देवघर

दिनांक – 17/6/15

अनुमंडल कार्यालय देवघर झारखण्ड

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम अनुमंडल पदाधिकारी देवघर

पदनाम 17/6/15

(नोट :– ...) मुहर

1. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ, ...
2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा की धारा–1 में ... अत्यन्त पिछड़े वर्गों ... को अधिसूचना ... संख्या–3385, दिनांक 05.11.2001, 301 दिनांक ... 2003, 2436, दिनांक 28.06.2004, 6037 दिनांक 06.12.2004, 6374, दिनांक 11.12.2004, 368, दिनांक 19.01.2006, 2759, दिनांक 01.06.2006, 3706, दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182, दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 23.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5106 दिनांक 23.09.2008, 4450, दिनांक 01.06.2001, 5626 दिनांक 19.09.2011, 697, दिनांक 20.09.2011, 6560, दिनांक 20.10.2011, 8060, दिनांक 17.12.2011 एवं 144, दिनांक 6.01.2012, 2555, दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।
3. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–7/आ०सं०प०–17–03/08 का०–5102 (अनु०) दिनांक– ... की अनुसूची ... संशोधित ...